संख्या:301/2023/859/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

नियोजन अनुभाग-4 रामपुर दिनांक: 18 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-रामपुर में निम्नलिखित कार्यों की रू. **504.61** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. **504.61** लाख (रूपये पांच करोड़ चार लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	**लम्बाई (किमी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1.	ग्राम अब्दुल्लानगर तहसील मिलक में अब्दुल्लानगर से दुलीपुर जाने वाले मार्ग तक खडंजा निर्माण।	0.720	18.52	18.52
2.	ग्राम भोट तहसील सदर रामपुर में भोट और करीमपुर के बीच छूटे हुए मार्ग पर डामर रोड।	0.850	44.59	44.59
3.	ग्राम नियामतनगर तहसील मिलक में नियामत नगर से कावर्तीनगर (कमरूददीननगर) वाले मार्ग तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.63	12.63
4.	ग्राम इमरता तहसील टाण्डा में बाजावाला से इमरता मन्दिर (बंदे वाला) तक खडंजा निर्माण	1.250	26.82	26.82
5.	ग्राम गज्जूपुरा तहसील स्वार में रामोतार लोधी के मोड़ से मन्दिर होकर ग्राम गज्जूपुरा तक डामर रोड का निर्माण कार्य।	0.625	46.21	46.21
6.	ग्राम पीपलसाना तहसील मिलक में मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.600	15.54	15.54
7.	ग्राम रहसेना तहसील मिलक में सहकारी समिति भवन से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.700	20.32	20.32
8.	ग्राम अलीगंज बेनजीर तहसील सदर में मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.68	12.68
9.	ग्राम सिमरा ब्लॉक मिलक में सिमरा मोड़ से नहर की पुलिया मजार से लखीमपुर भीखा मार्ग खडंजा निर्माण।	1.000	25.77	25.77
10.	ग्राम हप्पू करपिया ब्लॉक मिलक में ग्राम हप्पू करपिया से बग्गी के डेरा तक खडंजा निर्माण।	0.750	18.56	18.56
11.	ग्राम हरदासपुर ब्लॉक मिलक में मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.35	12.35
12.	ग्राम देवरी बुजुर्ग ब्लॉक मिलक में मुख्य मार्ग से पंचपेडा मंदिर तक खडंजा निर्माण।	0.500	16.27	16.27
13.	ग्राम काजियापुरा ब्लॉक मिलक में ग्राम काजियापुरा से बडेपुरा तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.29	12.29
14.	ग्राम हल्दुआ ब्लॉक मिलक में ग्राम हल्दुआ पुलिया से कपनेरी तक खडंजा निर्माण।	0.500	13.56	13.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
15.	ग्राम पुरनापुर ब्लॉक मिलक में ग्राम पुरनापुर मंदिर से लंबापुरी तक खडंजा निर्माण।	0.500	18.87	18.87
16.	ग्राम केवलपुर ब्लॉक मिलक में ग्राम केवलपुर से बड़ागाँव शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.01	12.01
17.	ग्राम मेहंदीनगर ब्लॉक मिलक में मुख्य मार्ग से ग्राम के अन्त तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.50	12.50
18.	ग्राम खरदिया में मुख्य मार्ग से शिव मंदिर तक खडंजा निर्माण।	0.500	13.12	13.12
19.	ग्राम कुंडेसरा तहसील स्वार में मुख्य मार्ग से गुरनाम सिंह के घर तक खडंजा कार्य।	0.500	12.29	12.29
20.	ग्राम खुर्शीदनगर तहसील स्वार में खेमकरन के खेत से शमशान घाट तक खडंजा कार्य।	0.500	12.90	12.90
21.	ग्राम सिकंदराबाद ब्लॉक स्वार में ग्राम से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण कार्य।	0.500	12.68	12.68
22.	ग्राम माटखेड़ा में सुखविंदर सिंह के घर से गुरुद्वारे तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.02	12.02
23.	ग्राम भगवंत नगर में नानक चंद के मझरे से मेहंदीनगर स्कूल तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.87	12.87
24.	ग्राम माटखेड़ा में सतनाम सिंह के खेत से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.02	12.02
25.	ग्राम भगवंत नगर में मुख्य मार्ग से सरजीत के फार्म तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.87	12.87
26.	ग्राम गोलू टांडा ब्लॉक स्वार में मुख्य मार्ग से राजपाल सिंह के घर तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.50	12.50
27.	ग्राम बमनपुरा तहसील बिलासपुर में मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.90	12.90
28.	ग्राम पिपलिया अहला बिलासपुर में इन्टर कॉलेज से सतेन्द्र के डेरे तक खडंजा निर्माण।	0.500	12.49	12.49
29.	ग्राम दनकरा ब्लॉक बिलासपुर में पृथ्वीपुर चिड़ियापुर से दनकरा शमशान घाट की ओर खडंजा निर्माण।	0.500	13.09	13.09
30.	ग्राम वाजिदपुर ब्लॉक चमरौआ में रतनदीप के घर से शिव मंदिर तक खडंजा निर्माण।	0.500	13.37	13.37
	योग	**17.495**	**504.61**	**504.61**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बढ़ाना, कार्य के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
10. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
15. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2023 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
17. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
19. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
20. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
21. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
22. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पतियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
24. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. **5,04,61,000** (रूपये पांच करोड़ चार लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 505404337030301 ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:301/2023/859(1)/35-4-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रामपुर।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, रामपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।